हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

सोमवार, 2 सितम्बर, 2024/11 भाद्रपद, 1946(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 2 सितम्बर, 2024 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

3. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 35) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24; और

(ii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24।

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: इन्ड-ए(ए)3-6/2023, दिनांक 16.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

(3) **श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: टीपीटी-ए(3)-4/2013-I, दिनांक 10.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2023 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-ग की उप-धारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा हिमाचन प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 से संलग्न अनुसूची-III के संशोधन, जोकि अधिसूचना संख्या: टीपीटी-ए(3)-7/2019-II, दिनांक 06.01.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.01.2024 को प्रकाशित।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति के **25वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21)** पर बने **38वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **15वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20)** पर बने **29वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम तथा समेकित बाल संरक्षण योजना** से सम्बन्धित है।

5. विधायी कार्य:

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(I) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (**संशोधन**) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) **श्री राजेश धर्माणी, नगर और ग्राम योजना मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश **नगर और ग्राम योजना**, अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश **नगर और ग्राम योजन** (**संशोधन**) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

6. (1) नियम-130 के अन्तर्गत दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी:

"प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।"

(2) **श्री त्रिलोक जम्वाल**
श्री बलबीर सिंह वर्मा
श्री सुख राम चौधरी
श्री राकेश जम्वाल

प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।".

शिमला-171004
दिनांक: 30 अगस्त, 2024

(यशपाल शर्मा)
सचिव।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(षष्टम् सत्र)

सोमवार, 02 सितम्बर, 2024/11 भाद्रपद, 1946(शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

प्रश्न संख्या	शुद्धियां

अतारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-36

864	विलोप किया गया।

शिमला-171004
दिनांक: 31-08-2024

यशपाल शर्मा,
सचिव ।